

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मण्डल र्वालियर,

लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)



C.F. 20.00/-

R. 1729 - ॥ । 3

निखिलेश गुप्ता तनय सुवं श्री सम्पत कुमार गुप्ता उम्र 50 वर्ष, पेशा व्यापार निवारी  
मोहल्ला घोघर तहसील हुजूर जिला रीवा (म. प्र.)

अधिकारी श्रीमान निवारी

दास पट्टुता  
रीवा, दिन 16.4.2013

आवेदक / निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- (1) रामखेलावन कुशवाहा
- (2) तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
- (3) राजस्व निरीक्षक करहिया तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र विरुद्ध राजस्व निरीक्षक करहिया द्वारा की  
गई पथराङडी दिनांक 26/03/2013 के पुष्टि करण हेतु  
न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर द्वारा प्रक्र.  
105/अ-12/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 12/04/2012  
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर.

#### प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक / निगरानीकर्ता आराजी नं. 567 स्थित करहिया पटवारी हल्का करहिया  
81, तहसील हुजूर जिला रीवा के भूमिस्थानी हैं। उक्त आराजी आवेदक / निगरानीकर्ता  
की पैत्रिक है तथा उम्र 30 वर्ष से भी अधिक उम्र से उक्त भूमि में  
आवेदक / निगरानीकर्ता का कबड़ा दखल है तथा मकान भी बना है। आवेदक के  
सरहदी कास्तकार आराजी नं. 566 के भूमिस्थानी रामखेलावन कुशवाहा अना. क्र0-1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.1729-III / 2013

जिला-रीवा

निखिलेश गुप्ता/रामखेलावन कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
21.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीष तिवारी तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 105/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.झमा), सदस्य</p>	